रतनकंवर बनाम ग्राम पंचायत

अपील संख्या : 2022/287

13.12.2022	पत्रावली पेश हुई । उक्त अपील विद्वान् अभिभाषक श्री अशोक कुमार गुप्ता ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है । अपीलान्ट ने अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया । अपील एडमिशन पर अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थिया के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम सुवांसा पटवार हल्का सुवासा तहसील तालेडा में खाता संख्या नया 523 की खसरा नम्बर 2683/1164 रकबा 0.4128 हैक्टर जिसकी रिकॉर्डेड खातेदार प्रार्थिया है लेकिन रेस्पोडेन्ट ताकत के बल पर उक्त भूमि में गैर कानूनी रूप से रास्ता निकालकर जमीन को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जावे एवं स्थगन आदेश जारी किया जावे । हमने प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 01.12.2022 के विरूद्ध पेश की गई है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.12.2022 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर लिया गया है तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश दिये गये हैं । ऐसी अवस्था में हम उक्त आदेश में वर्तमान स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना जाना उचित नहीं समझते हैं । यदि अपीलान्ट प्रार्थी को शीघ्र सुनवाई करने की प्रार्थना करनी है तो वह परीक्षण न्यायालय में के समक्ष शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत कर सकता है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एडमिशन स्तर पर खारिज की जाती है । अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मनोज कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा